डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 131/2025

1. सुभाष पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मंजू पत्नी गोवर्धन पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. जयदीप पुत्र गोवर्धन पुत्र हरिराम जाति मेघवाल जरिये कुदरती बली माता मंजू पत्नी गोवर्धन पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. संजू पुत्री गोवर्धन पुत्र हरिराम जाति मेघवाल जरिये कुदरती बली माता मंजू पत्नी गोवर्धन पुत्र हरिराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. मामकौरी उर्फ उर्मिला पत्नी दुलीचंद पुत्री हरिराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. विद्यादेवी पत्नी जगदीश कुमार पुत्री हरिराम जाति मेघवाल निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) हाल जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ राज.
3. शाखा प्रबन्ध भारतीय स्टेट बैक शाखा संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :– 11.7.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री बन्टुश बिश्नोई अभिभाषक वादीगण व श्री कैलाश सिंवल अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादीगण स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि वादी सं. 1 को तहसील संगरिया के चक नं. 6 एन.जी.आर. के खाता सं. 106/62 जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हिस्सा में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.31625 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष 1/2 हिस्सा अर्थात् 0.31625 है. का वादी सं. 2 ता 4 को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है। चक 6 एन.जी.आर. के खाता सं. 73/160 में वादी सं 1 को 1/2 हिस्सा यानि 0.253 है. तथा वादी सं. 2 ता 4 को 1/2 हिस्सा यानि 0.253 है. ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर हरिराम पुत्र श्योजीराम का नाम कलमजन किया जाता है। चक 6 एन.जी.आर. के खाता सं 199/136 में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के हिस्से में से वादी सं 1 को 1/2 हिस्सा यानि 0.03175 है. तथा वादी सं. 2 ता 4 को 1/2 हिस्सा यानि 0.03175 है. ब.हि.ब. का खातेदार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें।

आराजी बैक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज...X...निल....X मुब्लिक....X निल.....X बाबत........X निल......X खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ......X.....को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.7.2021 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Scanned with OKEN Scanner